बिहार विधान-सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि 22 फरवरी, 1991 ई०

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि 22 फरवरी, 1991 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष **श्री गुलाम सरवर** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
तिथि 22 फरवरी, 1991 ई०

चन्द्रशेखर शर्मा
सचिव
बिहार विधान-सभा

ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण

य-12. श्री मो० अजीमउद्दीन : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत सिकटी प्रखंड को आर० ई० सी० (ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) में लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि डैनियां, आमगाछी, झटिया, मसुण्डा, बरमसिया, पड़रिया ग्राम पंचायत में विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पायी है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम पंचायतों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) एवं (3) डैनिया थाना सं० 6-इस गांव का विद्युतीकरण 1980-81 वर्ष में हुआ था तथा ऊर्जान्वित था और यहाँ उपभोक्ता भी थे। तीन-चार वर्ष इस गांव की सारणी एवं ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। जिस मुख्य सारणी से यह गांव जुड़ा हुआ है। यह मुख्य सारणी भी उसी समय से क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त सारणियों को ठीक कराने का कार्य प्रगति में है।

आमगाछी थाना नं० 3/1- इस गांव का भी विद्युतीकरण 1980-81 वर्ष में हुआ था। मुख्य सारणी में ही इस गांव का वितरण उपकेन्द्र स्थापित हैं मुख्य सारणी तीन-चार वर्ष पूर्व से ही क्षतिग्रस्त था जिसकी मरम्मती का कार्य पूरा हो चुका है।

लेकिन यहाँ एक भी उपभोक्ता उपलब्ध नहीं हो सके हैं। इसलिए सारणियों को ऊर्जान्वित नहीं किया गया।

झटिया थाना सं॰ 19-यह गांव आर॰ ई॰ सी॰ योजना में स्वीकृत है जिसमें विद्युतीकरण का कार्य हो चुका हैं इस गांव का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया जिसका प्राथमिकी दर्ज हो चुका है एवं ट्रांसफार्मर पुनः स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ अभी तक एक भी उपभोक्ता उपलब्ध नहीं हो पाए हैं।

मसुण्डा थाना नं॰ 16-इस गांव का विद्युतीकरण 1980-81 में हुआ। इस गांव की सारणी भी क्षतिग्रस्त था जिसकी मरम्मती का कार्य पूरा हो चुका हैं। ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई की जा रही है।

बरहमसिया थाना नं॰ 32 एवं 33-ये दोनों गांव योजना में सम्मिलित है। इस दोनों गांवों के विद्युतीकरण का प्राक्कलन की स्वीकृति एवं सामानों की उपलब्धि के बाद इन गांवों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

पड़रिया थाना सं॰ 39-यह गांव भी आर॰ ई॰ सी॰ योजना में सम्मिलित है। इस गांव का विद्युतीकरण प्राक्कलन की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है। प्राक्कलन की स्वीकृति एवं सामानों की उपलब्धी के बाद इन गांवों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

सब-स्टेशन का निर्माण

य-6. **श्रीमती मंजू प्रकाश** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-